

प्रेस-विज्ञप्तिगोवध के 02 गैंग पंजीकृत

आज दिनांक- 30.01.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने जनपद स्तर पर गोवध में संलिप्त कुल 08 अपराधियों के विरुद्ध 02 गैंग पंजीकरण कराये गये। जिससे अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

►पंजीकृत गैंग का विवरण निम्नवत है-

► 1- थाना निजामाबाद अभियुक्त मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन पुत्र स्व0 हफिजुल्लाह निवासी धूरीपुर थाना निजामाबाद जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए गोवध जैसा अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर "सूचीबद्ध" (गोवध गैंग) किया गया है। इसका कोड नं0- "डी-219/2024" होगा।

जिसके सदस्य निम्नवत हैं-

1. साहेब आलम पुत्र अबु खालीद निवासी मस्जिदीया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष।
2. अबु खालीद पुत्र स्व0 हकिमुद्दीन निवासी मस्जिदीया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 70 वर्ष।
3. शबनम खातुन पत्नी बबलू उर्फ मो0 शेख निवासी हुसेनाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष।

► 2- थाना निजामाबाद अभियुक्त प्रेम धरिकार पुत्र लालचन्द धरिकार निवासी फरिहा थाना निजामाबाद जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए गोवध जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर "सूचीबद्ध" (गोवध गैंग) किया गया है। इस गैंग का कोड नं0- "डी- 220/2024" होगा।

जिसके सदस्य निम्नवत है।

1. सलाहुद्दीन पुत्र सौदागर नट निवासी फरिहा थाना निजामाबाद उम्र 51 वर्ष।
2. शहबाज पुत्र अबुतालिब निवासी फरिहा थाना निजामाबाद उम्र 46 वर्ष।
3. गुड्डू उर्फ शमशाद पुत्र फरियाद अहमद निवासी फरिहा थाना निजामाबाद उम्र 41 वर्ष।
4. अलीहार उर्फ पिल्लु पुत्र मंजूर निवासी सुराई थाना निजामाबाद उम्र 36 वर्ष।
5. शमीम पुत्र मंजूर निवासी सुराई थाना निजामाबाद उम्र 36 वर्ष।

प्रेस नोटगुण्डा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर हुए 05 अपराधी

जनपद में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा अपराध नियंत्रण में चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत गोवध में सक्रिय अपराधियों पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट महोदय आजमगढ़ द्वारा 06 अपराधियों को दिनांक- 03.01.2024 से 06 माह के लिए जिलाबदर किया गया है। थाना गम्भीरपुर व बिलरियागंज से 02-02, व फूलपुर से 01 अपराधी जिलाबदर किये गये है।

जिलाबदर हुए 05 अपराधियों का विवरण निम्नवत है-

1. राशिद पुत्र नवी निवासी कलन्दरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़। (गोवध)
2. हनीफ पुत्र अयुब निवासी कलन्दरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़। (गोवध)
3. इसरार अहमद पुत्र स्व0 लालमुहम्मद निवासी करमैनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़। (गोवध)
4. नाजिम पुत्र फैज निवासी अलाउद्दीनपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़। (गोवध)
5. मोबीन पुत्र निरखु निवासी मानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़। (गोवध)

थाना- कन्धरापुर

किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक- 25.05.23 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि मेरी पोती लापता हो गयी है हम लोग बहुत खोजने का प्रयास किये जो नहीं मिली। जिसके आधार पर मु0अ0सं0 127/2023 धारा 363 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दौरान विवेचना प्रकाश में अभियुक्तों 1.मदनलाल चौधरी पुत्र स्व0 बृजेश कुमार निवासी ग्राम लेडुआ थाना तहबरपुर आजमगढ, 2. शारदा देवी पत्नी विश्वनाथ ग्राम मुजफ्फरपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ, 3. सिंह करुण पुत्र विश्वनाथ निवासी मुजफ्फरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ का नाम प्रकाश में आये।

➡उपरोक्त दोनो अभियुक्त मदनलाल चौधरी व शारदा को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शेष अभियुक्त सिंह करुण फरार चल रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 30.01.2024 को उ0नि0 शंकर कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सिंह करुण पुत्र विश्वनाथ निवासी मुजफ्फरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र 38 वर्ष को सेहदा से समय करीब 09.30 बजे गिरफ्तार कर अपहृता/पीडिता को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- सिंह करुण पुत्र विश्वनाथ निवासी मुजफ्फरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र 38 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

बरामदगी- अपहृता/पीडिता

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ0नि0 शंकर कुमार सिंह थाना कन्धरापुर, आजमगढ।
2. का0 राहुल यादव थाना कन्धरापुर, आजमगढ।
3. हे0का0 उमेश यादव सर्विलांस सेल आजमगढ।
4. म0का0 शैल देवी थाना कन्धरापुर, आजमगढ।